

15

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

**III/अपील/सीधी/अक्र/2017/3883**

प्रकरण क्रमांक-

12017 जिला सीधी

मैसर्स- एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खोड़ी ग्राम, बड़वाह, जिला खरगौन (म.प्र.)

.....अपीलार्थी

बनाम

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- 2- उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड़नदस्ता, रीवा
- 3- जिला आबकारी अधिकारी सीधी

.....प्रतिअपीलार्थीगण

श्री. आशोक शर्मा  
द्वारा आज दि. 12-10-17 को  
पत्र  
बलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
दिनांक 31-10-17  
नूतन

12/10/17

**न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा आदेश पृष्ठांकन क्रमांक/5(1)2017-18/3968 दिनांक 09.08.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू निमर्यों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।**

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है-

मामले के संक्षिप्त तथ्य

- 1- यहकि, अपीलार्थी कम्पनी देशी मदिरा का उत्पादन एवं प्रदाय का कार्य करती है। अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2012-13 में देशी मदिरा प्रदाय क्षेत्र सीधी में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक-5(1)2011-12/321 दिनांक 09.02.2012 द्वारा प्रदान की गई थी।
- 2- यहकि, तथाकथित अनियमितताओं के लिए प्रदाय संविदाकार अपीलार्थी मैसर्स- एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लि. बड़वाह, जिला खरगौन को आबकारी आयुक्त म.प्र., ग्वालियर द्वारा सूचना-पत्र क्रमांक-5(1)/2015-16/4724 दिनांक 09.11.2015 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया, जिसका विधिवत्

8

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/अपील/सीधी /आबकारी /2017/3883  
कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों  
आदि के  
हस्ताक्षर

स्थान तथा  
दिनांक

3.4.18

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आलोक शर्मा उपस्थित होकर सीघ्र सुनवाई का आदेश प्रस्तुत किया जाकर अनुरोध किया है कि प्रकरण आज ही सुन लिया जाए।


2 यह अपील आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पृष्ठांकन क्रमांक 5/(1) 2017-18/3968 में पारित आदेश दिनांक 9-8-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील नियमों के पैरा- दो सी के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है।

3- प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की तथा मौखिक रूप से धारा-5 के संबंध में घोर आपत्ति की। प्रत्यर्थी अभिभाषक की आपत्ति का आवेदक अभिभाषक द्वारा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके।

4. उभय पक्ष अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में सलंगन दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह अपील इस न्यायालय में लगभग 6 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा धारा 5 के आवेदन पत्र में ऐसा कोई विलंब का ठोस कारण नहीं बताया है जिससे विलंब को क्षमा किया जा सके। विलंब का कारण अपने आवेदन में मात्र यह बताया गया है कि कंपनी के कर्मचारी द्वारा अपने रिकार्ड में आदेश की प्रति रख कर भूल जाने के

कारण उक्त आदेश की प्रति मिसप्लेस हो गई थी। इसलिए प्राप्त नहीं हो सकी दिनांक 31.01.18 को खोजने पर प्राप्त हो सकी।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा हुए विलंब समाधानकारक नहीं होने से प्रकरण धारा 5 के आवेदन पर ही निरस्त किया जाता है।

  
सदस्य

